

असाधारण

## EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 126]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2012/श्रावण 3 1934

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 104

No. 126]

DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2012/SHRAVANA 3, 1934

[N.C.T.D. No. 104

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## उद्योग विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई, 2012

सं फा. एसीआई/एमएसएमई/सीआई/2/2010/1241-46. — सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (पी) के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विभाग की दिनांक 30-7-2007 की अधिसूचना सं. एसीआई/एमएसएमई/सीआई/2/2007/171 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए "सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद् (एमएसईएफसी)" का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. सचिव एवं आयुक्त, उद्योग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- —- आध्यक्ष
- 2. सचिव, विधि अथवा उनका प्रतिनिधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- \_\_ गराग
- अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग (एमएसएमई), उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- गटारा

4. महाप्रबंधक, लीड बैंक ऑफ दिल्ली स्टेट अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

— सदस्य

5. महासचिव, ओखला औद्योगिक इस्टेट संघ

— सदस्य

क्योंकि उद्योग सुविधा परिषद् के सदस्य पदनाम से मनोनीत हैं। अत: किसी सदस्य के पद पर न रहने से रिक्त स्थान को उसके उत्तराधिकारी से स्वत: भरा गया माना जायेगा।

परिषद् के निम्नलिखित कार्य होंगे :---

- उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सामान के लिए किसी क्रेता से या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली किसी धनराशि के संबंध में प्राप्त संदर्भों पर कार्यवाही करना ।
- 2. परिषद् किसी विवाद में अपने सामने लाए गए मामलों में या तो स्वयं समझौते की कार्यवाही संचालित करेगी या वैकल्पिक विवाद । समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केन्द्र से समझौता कार्यवाही संचालन करने के लिए अनुरोध करते हुए उक्त संस्थान या केन्द्र से कार्यवाही करने में सहायता लेगी । मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 के प्रावधान इस विवाद पर ऐसे ही लागू होंगे मानों समझौते की कार्यवाही उस अधिनियम के भाग-III में शुरू की गई थी ।

2760 DG/2012

(1

- यदि ऐसा समझौता सफल नहीं रहा है तथा समाधान के बिना समाप्त हो जाता है तो परिषद् या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद 3. पर कार्यवाही करेगी या किसी वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केन्द्र को मध्यस्थता के लिए संदर्भ के साथ भेजेगी तथा मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधान विवाद पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों मध्यस्थता उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में उल्लिखित मध्यस्थता सहमति के अनुसरण में की गई है।
- परिषद् को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले आपूर्तिकर्ता तथा भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले क्रेता के मामले 4. में मध्यस्थता या समझौता करवाने वाले के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा।
- परिषद् ऐसा संदर्भ प्राप्त होने से उस विषय पर नब्बे दिन के भीतर निर्णय करेगी।
- अध्यक्ष उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी एमएसईएफसी की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा बैठकों की कार्यवाही अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई), भारत सरकार को भेजेगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, प्रेमानन्द प्रस्ति, डीसीआई (एमएसएमई)

## INDUSTRIES DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 25th July, 2012

No. F. ACI/MSME/CI/2/2010/1241-46.—In exercise of the powers conferred by Section 20 read with clause (p) of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of Department's notification No. ACI/PC/CI/2/2007/171, dated 30-7-2007, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the "Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC)" for National Capital Territory of Delhi, with

the following as members: 1. Secretary and Commissioner of Industries, Government of National Capital Territory of Delhi —Chairperson 2. Secretary, Law or his Representative, Government of National Capital Territory of Delhi -Member -Member 3. Addl. Commissioner of Industries (MSME), Deptt. of Industries, Government of National Capital Territory of Delhi -Member 4. General Manager, Lead Bank of Delhi State i.e. State Bank of India -Member General Secretary, Okhla Industrial Estate Association.

Since the members of Industry Facilitation Council are being nominated by designation, the vacancy that would arise on account of any member leaving his office would be treated as filled up automatically by his successor.

The Council will perform following functions:-

- To entertain reference received under sub-section (1) of Section 18 of the aforesaid Act, with regard to any amount due from the buyer for the goods supplied or services rendered by the supplier.
- The Council shall either itself conduct conciliation in the matter on reference placed before it or seek the assistance of any institute or center providing alternate dispute resolution services by making a reference to such an institution or center, for conducting conciliation. The provisions of Sections 65 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to such dispute as if the conciliation was initiated under Part-III of that Act.
- When such conciliation is not successful and stands terminated without any settlement, the council shall either itself take up the dispute for arbitration or refer it to any institute or center providing alternate 3 dispute resolution services by making a reference to such an institution or center, for such arbitration and the provisions of the Abritration and Conciliation Act, 1996 shall then apply to the dispute as if the arbitration was in pursuance of an arbitration agreement referred to in sub-section (1) of Section 7 of that
- The Council shall have jurisdiction to act as an Arbitrator or Conciliator in a dispute between the supplier 4 located within its jurisdiction and a buyer located anywhere in India.
- The Council shall decide reference received by it within a period of ninety days from making of such 5.
- The Chairperson or any other officer authorized by him shall forward the proceedings of the meetings and Annual Progress Report of MSEFC to Additional Secretary and Development Commissioner (MSME), 6. Government of India.

By Order and in the Name of the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, PREMANANDA PRUSTY, DCI (MSME)